न्यायालय अनुमण्डल पदाधिकारी , लोहरदगा।

(अनुमति वाद संख्या 308/2012–13 धारा– 46 सी0 एन0 टी0 एक्ट)

आदेश

05.3.13

आवेदक **श्री सोमरा कुजूर पिता स्व0 मंगरा कुजूर जात उरॉव** साकिन **जी0ई0एल0 मिशन मधुबन टोली, लोहरदगा** थाना एवं जिला लोहरदगा के द्वारा सी0 एन0 टी0 एक्ट की धारा –46 के तहत आवेंदन पत्र दिया गया है कि उन्हें मौजा **लोहरदगा** के निम्नलिखित जमीन को बिक्री करने का अनुमति प्रदान की जाय।

आवेदित भूमि का विवरण

मौजा	थाना	थाना नं0	खाता नं0	प्लाट नं0	रकबा
लोहरदगा	लोहरदगा	194	67	958	0.05 एकड़
			306	958/2544	0.06 एकड़
				Total Area :-	**0.11 एकड़**

आवेदक से प्राप्त आवेदन पत्र को ग्रहण करते हुए सम्बंधित मौजा के नाम आम ईश्तिहार नोटिश जारी किया गया कि उक्त जमीन को बिक्री करने के विरूद्ध यदि किसी को कोई आपत्ति हो, तो वे अपनी आपत्ति आवेदन पत्र न्यायालय में उपस्थित हो कर दाखिल करें। साथ ही आवेदक से प्राप्त आवेदन पत्र की प्रति भेजते हुए अंचल अधिकारी **लोहरदगा** से जांच प्रतिवेदन की मांग की गई। निर्धारित तिथि तक कोई आपत्ति आवेदन पत्र दर्ज नही हुआ।

अंचल अधिकारी **लोहरदगा** ने अपने पत्रांक **186** दिनांक **02.03.2013** द्वारा अपना जांच प्रतिवेदन समर्पित किया है। अंचल अधिकारी **लोहरदगा** द्वारा प्रतिवेदित किया गया हैं कि आवेदक के पास कुल **0.11 एकड** जमीन है एवं जमीन बिक्री करने बाद आवेदित खाता में **0.00 एकड़** भूमि बचता है। जमीन का वर्तमान मुल्य **50,000/– रू0** प्रति डिसमिल है। आवेदक **मकान बनाने** हेतु जमीन बिक्री करना चाहते हैं। जमीन आवेदक की **खरीदगी** है। आवेदक खतियानी रैयत नही है। आवेदक का खतियानी रैयत से क्रेता बिक्रेता का संबंध है। सरकारी रसीद आवेदक के नाम से कटता है। विक्रेता एंव क्रेता एक ही थाना के निवासी है। जमीन का श्रेणी **टांड़ –।।** हैं।

इस क्रम में आवेदक का भी ब्यान लिया गया आवेदक के द्वारा बतलाया गया कि मौजा **लोहरदगा** के अन्तर्गत साबिक खाता नं0 – **67**, साबिक प्लाट नं0 – **958** रकबा **0.05 एकड़** वो साबिक खाता नं0 – **306**, साबिक प्लाट नं0 – **958/2544** रकबा **0.06 एकड़** कुल रकबा **0.11 एकड़** जमीन को **श्रीमती सिलमन्ती** एक्का पति **श्री रविन्द्र एक्का जात उरॉव** साकिन **जी0ई0एल0 मिशन** मधुबन **टोली, लोहरदगा** थाना एवं जिला लोहरदगा के साथ जमीन की बिक्री **50,000/– रू0** प्रति डिसमिल के दर से कर रहें है। आवेदक **मकान बनाने** हेतु जमीन बिक्री करना चाहते हैं।

क्रमश.........2

जमीन आवेदक **की खरीदगी** है। सरकारी रसीद आवेदक के नाम से कटती है। जमीन बिक्री करने बाद आवेदित खाता में **0.00 एकड़** भूमि बचता है। जमीन पर आवेदक का दखल कब्जा है जमीन पर कोई विवाद नही है। जमीन बिक्री करने पर किसी का दबाव नही है जमीन बिक्री करने में किसी को कोई आपत्ति नही हैं।

अतः आवेदक से प्राप्त आवेदन पत्र, उनके द्वारा न्यायालय में दिये गये ब्यान तथा अंचलाधिकरी **लोहरदगा** से प्राप्त जांच प्रतिवेदन के आधार पर मौजा **लोहरदगा** के अन्तर्गत साबिक खाता नं0 – **67**, साबिक प्लाट नं0 – **958** रकबा **0.05 एकड़** वो साबिक खाता. नं0 – **306**, साबिक प्लाट नं0 – **958/2544** रकबा **0.06 एकड़** कुल रकबा **0.11 एकड़** जमीन को **श्रीमती सिलमन्ती** एक्का, **पति श्री रविन्द्र एक्का जात उराँव** साकिन **जी0ई0एल0 मिशन मधुबन टोली, लोहरदगा** थाना एवं जिला लोहरदगा के साथ सी0एन0टी0एक्ट की धारा – 46 के अन्तर्गत उनके निजी दायित्व पर मो0 **50,000/– रू0** प्रति डिसमिल के दर से बिक्री करने की अनुमति प्रदान की जाती हैं। आदेश की प्रति जिला अवर निबंधक लोहरदगा को सूचनार्थ भेजें।

लेखापित एंव शुद्धिकृत

05.3.13 | 05.3.13

अनुमण्डल पदाधिकारी
लोहरदगा

अनुमण्डल पदाधिकारी
लोहरदगा।

ज्ञापांक 298 / *दिनांक* 5.3.13 /

<u>**प्रतिलिपि :–**</u> जिला अवर निबंधक, लोहरदगा को सूचनार्थ प्रेषित।

05.3.13

अनुमण्डल पदाधिकारी
लोहरदगा